R.M.M Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part 1st
Paper II nd
Constitutional Law

पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण [अनु० 16(4)]

अनुच्छेद 16(4) यह अनुच्छेद 16(1) और (2) का दूसरा अपवाद है। इसके अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध कर सकता है। इस प्रकार खण्ड (4) में लागू होने के लिए दो बातें हैं—

(1) वर्ग पिछड़ा हो, अर्थात सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से,
(2) उसे राज्याधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल सका हो। केवल दूसरी शर्त ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती है।

'पिछड़ापन' शब्द यहाँ उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अनुच्छेद 15(4) में। इस अर्थ में इसके अंतर्गत, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का पिछड़ापन शामिल है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि समुदाय को विभिन्न वर्गों में बाँटकर ऐसा विभेद किया जाय।

'पिछड़ा वर्ग' शब्दावली की संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गयी है। अनुच्छेद 340

राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के अनुच्छेद 340 के लिए आयोग की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। आयोग इस बात की जाँच करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देगा कि कौन सा वर्ग पिछड़े वर्ग की कोटि में आता है। आयोग के रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्ग में आने वाले वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी। सरकार का निर्णय एक बार योग्य विषय होगा अर्थात न्यायालय इस बात की जाँच करेगा कि वर्गीकरण का मनमाना तो नहीं किया गया है या बोधगम्य सिद्धांत पर आधारित नहीं है। रामकृष्ण सिंह बनाम मैसूर राज्य के मामले में मैसूर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सन 1941 की जनगणना के आधार पर सन 1961 में पिछड़े वर्गों का अनुच्छेदण किये जाने का कोई औचित्य नहीं है और उसे किसी बोधगम्य सिद्धांत पर आधारित नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि 1941 से 1949 की अवधि के बीच समाज में प्रगतिशील परिवर्तन हो चुके हैं।

बालाजी के मामले में यह निर्णय दिया गया कि 'जाति' को पिछड़ेपन के अवधारण की कसौटी नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए गरीबी, पेशा, जन्मस्थान, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक उन्नति के साधन, शिक्षात्मक प्रगति आदि सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। कोई विशेष जाति पिछड़े वर्ग में आ सकती है यदि उस जाति के 90 प्रतिशत लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि एक बार किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर लिया गया है

तो वह सर्वदा के लिए पिछड़ी जाति ही बनी रहेगी। सरकार को समय-समय पर पूर्ण विचार करते रहना चाहिए और यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि कोई जाति विकास के इस स्तर पर पहुँच गयी जहाँ उसके लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो उसे उस जाति को पिछड़े वर्ग की सूची से निकाल देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं—

(1) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) 'वर्ग' का उल्लेख है, जाति का उल्लेख नहीं है।

(2) 'जाति' पिछड़ेपन की अवधारणा की एक मात्र कसौटी नहीं है यद्यपि यह उसमें एक हो सकती है।

(3) पिछड़ेपन के मामले में, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भाँति ही है।

(4) पिछड़ापन सामाजिक और आर्थिक दोनों होना चाहिए। सामाजिक पिछड़ापन अंततः निर्धनता का ही परिणाम होता है। किन्तु निर्धनता सामाजिक पिछड़ेपन की एकमात्र कसौटी नहीं है। सामाजिक पिछड़ेपन के संदर्भ में निर्धनता एक महत्वपूर्ण तत्व होती है।

(5) आरक्षण अत्यधिक नहीं होना चाहिए।

(6) आरक्षण प्रशासनिक कार्यकुशलता पर ध्यान रखकर किया जाना चाहिए। आरक्षण को योग्यता और कार्यकुशलता की उपेक्षा का आधार नहीं बनाना चाहिए।

के०सी० वसन्त कुमार बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के प्रश्न

Scanned with CamScanner

पर मार्गदर्शक सिद्धांत के पालन किये जाने का सुझाव दिया है, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बेहतर नियोजन और शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान किया जाना चाहिए —

(1) उक्त वर्गों के लिए आरक्षण वर्तमान रूप में 15 वर्षों तक चलता रहेगा।

(2) उक्त अवधि के पश्चात (आज की कसौटी) अर्थात आर्थिक पिछड़ेपन की कसौटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में भी आरक्षण के लिए लागू की जाएगी।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दो और कसौटियाँ लागू की जायेंगी।

(1) पिछड़ेपन के मामले में उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समान ही माना जायेगा और

(2) पिछड़े वर्ग और गैर पिछड़े वर्ग दोनों वर्गों के लोगों का आरक्षण नीति के व्यावहारिक प्रभाव पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

उच्चतम न्यायालय के उक्त सुझाव रचनात्मक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से अत्यन्त उपयुक्त है। रामकृष्ण बनाम मैसूर राज्य के मामले में 1941 के जनगणना के आधार पर 1951 में पिछड़े वर्गों के अवधारणा को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया क्योंकि 1941 और 1951 के बीच समाज में काफी परिवर्तन हो चुका था। यह देश के हित में है।